जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 29-06-2021

आज दिनांक 29.06.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संजय कुमार** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्रा** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 229/2021 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित बाल अपचारी नाम पता गंगेश्वर चौहान पुत्र विद्यासागर निवासी रजापुर सरैया थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 03.04.2021 को वादिनी की बहन को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, महिला अपराध की संवेदनशीलता के तहत आज दिनांक 29.06.2021 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री बलराम पाण्डेय, हे0का0 विवेक राय।

नाबालिग से छेड़खानी करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 46/2021 धारा 354/354(ख)/323/506 भा0द0वि0 व 7/8 पास्को एक्ट में वाँछित अभियुक्त नाम पता कम्मल

पाण्डेय पुत्र रामानन्द निवासी धर्मसिंहवा थाना धर्मसिंहवा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 28.06.2021 को वादिनी की पुत्री के साथ छेड़खानी की गयी थी थथा उलाहना देने पर वादिनी के साथ मारपीट व जानमाल की धमकी दी गयी थी। जिसके उपरान्त वादिनी द्वारा दिनांक 29.06.2021 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल दिनांक 29.06.2021 को थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री संजय सिंह, का0 सचिन, का0 कृष्णकान्त यादव ।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता दिलीप कुमार पुत्र त्रिभुवन निवासी करियासिंह दुधारा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 110 / 2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामसूरत यादव मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 13 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त – पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत मुडाडिह से इवेन्ट संख्या 06620 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के संबन्ध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 07 मिनट में पहुँचकर विवाद को शांत कराकर दोनों पक्षों के व्यक्तियों को थाना धनघटा के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 रविन्द्र यादव, म0आ0 मानवी सिंह, हो0चा0 सुनील अग्रहरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 154 वाहनो से 231500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 29.06.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 154 वाहनो से 231500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।